न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

<u>पीठासीन अधिकारी</u> :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस, जिला कलक्टर धौलपुर
<u>प्रार्थना पत्र नम्बर</u> :– 21/2017
<u>उनवानी प्रकरण</u> :–
अधीक्षक डाकघर धौलपुर मण्डल धौलपुर जिला धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

भंवर सिंह पुत्र भन्ताराम जाति मीणा निवासी कुरगॅवा तहसील बाडी पूर्व उपडाकपाल बसईनबाव ————————————————————————अप्रार्थी ।

<u>प्रार्थनापत्र बावत बकाया राशि की वसूली</u>
<u>अन्तर्गत पी. डी. आर. एक्ट 1952</u>

<u>उपस्थिति :–</u>
प्रार्थी की ओर से :– श्री शीतल प्रसाद जैन अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से :– श्री सन्तोष मिश्रा अभिभाषक

<u>निर्णय दिनॉक:–30.01.2018</u>

<u>निर्णय</u>

अधीक्षक डाकघर धौलपुर ने दिनांक 15.04.2013 को न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पी.डी.आर. एक्ट के तहत अप्रार्थी से बकाया राशि वसूली करने हेतु प्रस्तुत किया था। जिसे न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.03.2014 के द्वारा खारिज कर दिया गया।

न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.02.17 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 07.02.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीक्षक डाकघर धौलपुर की ओर से श्री शीतल प्रसाद जैन अभिभाषक उपस्थित हुए। तथा अप्रार्थी भंवर सिंह की ओर से श्री संन्तोष मिश्रा अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधीक्षक डाकघर धौलपुर की ओर से साक्ष्य हेतु परिमण्डल कार्यालय जयपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एंव 755009/– रूपये पैनल ब्याज का मांग पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अप्रार्थी के अभिभाषक ने साक्ष्य हेतु एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि गबन राशि की वसूली तथा फौजदारी प्रकरण दो पृथक कार्यवाही है जो समानांतर रूप से एक साथ चलने में कोई विधिक बाधा नही है। आपराधिक आरोप से सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त होने पर भी पी0डी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही संधारणीय रहती है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने AIR 2007 SUPREME COURT पेज संख्या 1161 की नजीर पेश की जिसमें अंकित है कि "The standard of proof required in departmental proceedings is not the same as required to prove a criminal charge and even if there is an acquittal in the criminal proceedings the same does not bar departmental proceedings. The order of the state Govt. deciding to initiate departmental proceedings against the delinquent pending inquiry by C.B.I. was passsed on the basis of the report of commission appointed by it on some points. After reciept of the C.B.I. report and consideration thereof on the same points it was found that the departmental inquiry was not required. The decision todrop departmental proceedings is untenable and liable to be Quashed." प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने AIR 2010 SUPREME COURT पेज संख्या 1241 की नजीर पेश की जिसमें अंकित है कि " Constitutaion of India, Art.311-Dismissal- Order of punishment imposed by Disciplinary Authority- Acquittal of delinquent in criminal case by itself cannot be ground for interfering with said order." अतः विभाग को हुई हानि को देखते हुए पीडीआर एक्ट के तहत रिकवरी के प्रकरण को स्वीकार किया जावे । तथा अप्रार्थी से मांग पत्र अनुसार वसूली के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 100/12 सरकार बनाम भंवर सिंह में अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय को अप्रार्थी भंवर सिंह के हस्ताक्षर के नमूने लिये जाने की प्रार्थना की गई जिस पर माननीय न्यायालय ने भंवरसिंह के हस्ताक्षरो के नमूने लिये जाकर अनुसंधान अधिकारी ने एफ.एस.एल. रिपोर्ट हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के आदेशानुसार स्टेट फोरेसिंक साईन्स लेवोरेटरी जयपुर (राज0) को भिजवाये गये। अप्रार्थी के हस्ताक्षरो के सम्बन्ध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट विरोधाभाषी पाई गई, जो अप्रार्थी के विरूद्ध साबित नही है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि खातो से निकाली गई राशि अप्रार्थी ने निकाली है। अप्रार्थी पर लगाया गया आरोप न्यायिक परिप्रेक्ष्य में निराधार गलत है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एंव वसूली कार्यवाही निरस्त की जावे।

दोनों विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:–

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.07.2017 को प्रस्तुत निदेशक, डाक सेवा मुख्यालय, जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.03.2014 में मुख्य अपराधी, अप्रार्थी भंवर

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

सिंह मीणा है। अप्रार्थी द्वारा ही राशि 755009/– रूपये का गबन सहायक अपराधियों के साथ मिलकर किया है। गबन राशि 755009/– रूपये में से राशि 186826/– रूपये की वसूली सहायक अपराधियों (Subsdairy offender) से हो चुकी है। जिसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 10 से होती है। वसूली योग्य राशि 568183/– मय ब्याज शेष रहती है। जो मुख्य अपराधी (भंवर सिंह मीणा) से होनी है।

2. यह तथ्य सही है कि गबन राशि की वसूली तथा फौजदारी प्रकरण दो पृथक कार्यवाही है जो समानान्तर रूप से एक साथ चलने में जाहिर तौर पर कोई विधिक बाधा नही है। राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम 1952 की धारा 04 अनुसार कलक्टर को इस तथ्य की संतुष्टि करनी है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मांग अधिनियम अन्तर्गत अप्रार्थी से वसूली योग्य है तथा वसूली किसी विधि अन्तर्गत निषिद्ध नही है। इस सम्बन्ध में हमें इस तथ्य की संतुष्टि है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि अप्रार्थी से वसूली योग्य है।
3. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नही है कि अप्रार्थी के विरूद्व इसी से सम्बन्धित एक प्रकरण फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही अवैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। एंव अप्रार्थी से वकाया राशि की वसूली हेतु जन मांग प्रमाण पत्र जारी कर प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट धौलपुर को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर